

I/477800/2024

संख्या- 159 /नौ-9-2023

प्रेषक,

मो० वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नगरीय निकाय निदेशालय,

उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय- नगरीय निकायों (ULBs) के जल संस्थान के मदों में बकाये विद्युत बिलों के लम्बित भुगतान हेतु कुल धनराशि ₹० 500.00 करोड़ (रुपये पांच सौ करोड़ मात्र) निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/3944/319(2)/यू०पी०पी०सी०एल०/2021-22, दिनांक- 07.12.2023 एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ के पत्र संख्या-1662/मु०अ०(वाणिज्य)/वा-1/रा०-1/एल०बी०-2, दिनांक- 04.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग के अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों के जल संस्थान तथा मार्ग प्रकाश एवं जलकल के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि ₹० 500.00 करोड़ (₹० पांच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष नगरीय निकायों (ULBs) के जल संस्थान के मदों में बकाये विद्युत बिलों के लम्बित भुगतान हेतु कुल धनराशि ₹० 500.00 करोड़ (₹० पांच सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० को अंतरित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग नगरीय निकायों (ULBs) के जल संस्थान के मदों में बकाये विद्युत बिलों के लम्बित भुगतान हेतु किया जायेगा।
- (3) उक्त भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लम्बित धनराशि के बिलों का सत्यापन कर लिया गया है।
- (4) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित, संहत सूचना शासन के वित्त विभाग तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

I/477800/2024

- (9) सेटेंज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल धनराशि रू० 500.00 करोड़ (रू० पांच सौ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001600 प्रदेश के नगरीय निकायों के जल संस्थान तथा मार्ग प्रकाश एवं जलकल के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या-E-9-468-X-2023-24, दिनांक- 23-01-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by

(मो० वासिफ)

Date: 23/01/2024 15:11:38

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, उ०प्र०।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सहायक निदेशक(लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
12. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो० वासिफ)

अनु सचिव।